प्रेस नोट 30.08.2023

मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी व मन्ना सिंह हत्याकांड में सह–अभियुक्त, कोयला माफिया व त्रिदेव ग्रुप के मालिक उमेश सिंह व राजेश सिंह (राजन सिंह) द्वारा अवैध धन से अर्जित 02 करोड़ 51 लाख रुपये कीमती लखनऊ में स्थित 02 फ्लैट, 14(1) गैंगस्टर एक्ट की तहत मऊ पुलिस द्वारा जब्त किया गया।

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.08.2023 को मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी व मन्ना सिंह हत्याकांड में सह–अभियुक्त, कोयला माफिया व त्रिदेव ग्रुप के मालिक उमेश सिंह व राजेश सिंह पुत्रगण स्व0 रामवृक्ष सिंह निवासीगण अहिलाद थाना सरायलखंसी मऊ के विरुद्ध कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 47/2010 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियोग के गैंग लीडर एवं सदस्य अभियुक्त उमेश सिंह द्वारा गिरोह बनाकर आर्थिक, भौति व बुनियादी लाभ के लिये संगठित अपराध कारित कर अवैध रुप से धन अर्जित किया गया है। अभियुक्त उमेश सिंह द्धारा आपराधिक गिरोह के साथ आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त रहकर अपराध से अर्जित किये गये अवैध धन से अपने नाम से फ्लैट संख्या बीटी/ई/703 ब्लाक–ई, टाईप–1 रिवर व्यूव इनक्लेव बेतवा अपार्टमेंट सेक्टर–4 गोमती नगर लखनऊ जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड़ 41 लाख है व अपने भाई राजेश सिंह के नाम से फ्लैट संख्या सी2–403 2बीएचके चतुर्थ तल सेक्टर 6 एम0आई0रसल कोर्ट अपार्टमेंट गोमती नगर लखनऊ जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड़ 10 लाख रुपये है, को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की तहत मऊ पुलिस द्वारा कुर्क किया गया।

चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.08.2023 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बहादुरगंज भीटी रोड पर मुसरदह के पास से सन्दीप तिवारी पुत्र शशिकान्त तिवारी निवासी कटरा बनदेवी रोड बढुआगोदाम थाना सरायलखन्सी तथा ऋषभ सिंह पुत्र सचिन्द्र बहादुर सिंह निवासी मखना थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर यूपी 65 बीएम 4325 बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 321/23 धारा 411/413/420/467/468 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

1.2 किग्रा अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 30.08.2023 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान रामघाट से महेश कनौजिया पुत्र रमाशंकर कनौजिया निवासी खैराबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर

मु0अ0सं0 297/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गोवध निवारण के क्रम में एक पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु जा रही 05 राशि गोवंस बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 30.08.2023 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सिकटिया ओवर ब्रिज के पास से एक पिकअप वाहन यूपी 54 एटी 7611 में क्रूरतापूर्वक लाद कर वध हेतु जा रही 05 राशि गोवंस (03 राशि गाय व 02 राशि सांड) बरामद कर अभियुक्त जग्गन चौहन पुत्र स्व0 रामभवन निवासी सहरोज थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 313/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

02 गांजा तस्करों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 गांजा तस्करों क्रमशः बदरुद्दीन खान पुत्र मंसूर अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती तथा कलीम उर्फ हीरा पुत्र स्व0 ताज मुहम्मद उर्फ ताजी अहमद उर्फ मुख्तार निवासी अलाउद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 320/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकपाल (निवारण) अधिनियम पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियुक्तगण गांजा तस्करी जैसे अपराध में संलिप्त है जो कि वर्तमान में जिला कारागार मऊ में निरूद्ध है।